

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महाराजगंज।

आबकारी विज्ञप्ति

शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत नवीनीकरण से अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन आन लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी से किया जाना है। शासन द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु भोंग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन भी आन लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आवेदन हेतु ई-लाटरी की प्रक्रिया:-

आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम ई-लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल upexciseelottery.gov.in पर अपने आप को पंजीकृत करना होगा। वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत हुई दुकानों के अनुज्ञापियों को उपरोक्त पंजीकरण अनुमन्य नहीं किया गया है बल्कि उन्हें नवीनीकरण की प्रक्रिया में उपलब्ध कराये गये यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लागिन करते हुये सीधे आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम आवेदक को अपना आधार नम्बर एवं मोबाइल नं० भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके मोबाइल नम्बर पर ओटीडीपी प्राप्त होगा जिसे आवेदक द्वारा निर्धारित स्थान पर भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को वांछित सूचनायें अत्यंत सावधानी से और परमशुद्धता से भरनी होंगी। उपरोक्त सूचनाओं के भरने एवं सबमिट करने पर आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नम्बर/ई-मेल पर प्रेषित की जायेगी। आवेदक को अपना नया और गोपनीय पासवर्ड बनाना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल पर लागिन सम्भव होगा। पोर्टल पर लागिन करके आवेदक अपनी इच्छानुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मांग एवं मॉडल शाप से सम्बन्धित प्रदर्शित विवरण यथा दुकान का नाम, एमओजीक्यू, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, धरोहर धनराशि आवश्यक न्यूनतम हैसियत प्रमाण-पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रतिभूति धनराशि आदि को देख सकता है और वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन की तैयारी कर सकता है धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट किसी रजिस्ट्रीकृत बैंक से बनवाना होगा। जनपद महाराजगंज के लिए आवेदन करने पर ड्राफ्ट "जिला आबकारी अधिकारी जनपद महाराजगंज उ०प्र०" के पद नाम से बना होना चाहिए। धरोहर धनराशि के किसी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग लाटरी के किसी चरण में केवल 01 आवेदित दुकान के सम्बन्ध में ही किया जायेगा। यदि किसी बैंक ड्राफ्ट को लाटरी के किसी चरण में एक से अधिक आवेदित दुकानों के आवेदन पत्र अपलोड किया गया पाया जायेगा तब प्रथम आवेदन पत्र को छोड़कर शेष समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

आवेदन करते समय आवेदक को निर्धारित फार्मेट एवं साइज (जो पोर्टल पर उल्लिखित होगा) की अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण-पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी, धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट एवं शपथ-पत्र की फाइल कम्प्यूटर/पेनड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे। दिनांक 01.01.2018 से निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र/अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। सह आवेदक के साथ दुकान पर आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। अतः एकल आवेदक ही किसी दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। एक दुकान पर एक आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदकों द्वारा आनलाइन जमा की गयी प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी। आवेदक को गये हुये आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी का भुगतान किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन (पंजीकरण विवरण को छोड़कर) भी कर सकता है लेकिन यदि उसके द्वारा प्रोसेसिंग फीस एवं जीएसटी का भुगतान कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। आवेदक को समस्त कार्यवही पूर्ण करने के पश्चात् पावती रसीद, जिसमें समस्त आवश्यक सूचनायें अंकित होगी, प्राप्त होगी, जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है। आवेदक की पावती रसीद के आधार पर लाटरी स्थल में प्रवेश जाने का हकदार होगा। आवेदक पुनः अन्य दुकानों हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया संपादित करते हुये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप्स) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवेदित नहीं की जायेगी, जिनमें नवीनीकृत दुकाने भी सम्मिलित है। किसी भी आवेदक को जनपद में भोंग की अधिकतम दो दुकानें आवेदित की जायेगी। वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण तथा फुटकर अनुज्ञापन हेतु रजिस्ट्रेशन/आवेदन ई-लाटरी आदि से सम्बन्धित सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.nic.in) तथा जिले की वेबसाइट (maharajganj.nic.in) पर भी उपलब्ध रहेगी।

जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व मॉडलशाप्स तथा भोंग की फुटकर दुकानों के वर्ष 2019-20 में ई-लाटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की समय सारणी

1-ई-लाटरी हेतु आवेदन करने की अवधि दिनांक 09.02.19 प्रातः 10 बजे से दिनांक 15.02.19 को अपराह्न 18.00 बजे तक।

2-ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण दिनांक 16.02.19 से दिनांक 18.02.19 तक।

3-ई-लाटरी की तिथि समय एवं स्थान दिनांक 23.02.19 को प्रातः 09.00 बजे से कलेक्ट्रेट समागार कक्ष जनपद महाराजगंज।

जनपद में देशी मदिरा की 31, विदेशी मदिरा की 12, बीयर की 22, तथा भोंग की 17 फुटकर दुकानों तथा मॉडलशाप की 02 दुकानों का ई-लाटरी द्वारा व्यवस्थापन किया जाना है। दुकानों की व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण निम्नवत है:-

देशी मदिरा											
क्रमांक	देशी शराब दुकान का नाम	शाप आई०डी०	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एमओजीक्यू	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एमओजीक्यू (MGQX30)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एमओजीक्यू (MGQX222)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (MGQX22.2)	धरोहर धनराशि (मि०ला०की०/10)	हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (MGQX252/6)	प्रोसेसिंग फीस	जीएसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मन्दाबद कार्ड नं०-23	7390	न०पा०पारि०	84804	2544120	18826488	1882649	254412.00	3561768	18000.00	3240.00
2	ग्राम नं० बौक	7407	ग्रामीण	53460	1603800	11868120	1186812	160380.00	2245320	18000.00	3240.00
3	ग्राम नं० बाल्लोवांस	7580	ग्रामीण	62964	1888920	13978008	1397801	188892.00	2644488	18000.00	3240.00
4	ग्राम नं० कावारां	8788	ग्रामीण	52920	1587600	11748240	1174824	158760.00	2222640	18000.00	3240.00
5	ग्राम नं० धरमौली	9310	ग्रामीण	35472	1064160	7874784	787479	106416.00	1489824	18000.00	3240.00
6	ग्राम नं० पिपरा बड़ा टीला	9437	ग्रामीण	29904	897120	6638688	663869	89712.00	1255968	18000.00	3240.00
7	ग्राम नं० नन्दनगर	9455	ग्रामीण	32592	977760	7235424	723543	97776.00	1368864	18000.00	3240.00
8	पट्टे बीरहा	9466	ग्रामीण	62040	1861200	13772880	1377288	186120.00	2605680	18000.00	3240.00
9	कलौत	10083	ग्रामीण	21756	652680	4829832	482984	65268.00	913752	18000.00	3240.00
10	धनेवा-धनेई	10258	न०पा०पारि०	31452	943560	6982344	698235	94356.00	1320984	18000.00	3240.00
11	विलदार नगर	10933	ग्रामीण	50424	1512720	11194128	1119413	151272.00	2117808	18000.00	3240.00
12	सोहरवाँलिया	10950	ग्रामीण	33672	1010160	7475184	747519	101016.00	1414224	18000.00	3240.00
13	ग्राम नं० बहदुरी	10972	ग्रामीण	26796	803880	5948712	594872	80388.00	1125432	18000.00	3240.00
14	लेदवा	10984	ग्रामीण	35424	1062720	7864128	786413	106272.00	1487808	18000.00	3240.00
15	करमहा चौराहा	11025	ग्रामीण	7632	228960	1694304	169431	22896.00	320544	18000.00	3240.00

16	राधश्याम करीहिया	11040	ग्रामीण	34068	1022040	7563096	756310	102204.00	1430856	18000.00	3240.00
17	सेहदा मंदिर मोड़	11770	ग्रामीण	40860	1225800	9070920	907092	122580.00	1716120	18000.00	3240.00
18	परसावनी	11787	ग्रामीण	14820	444600	3290040	329004	44460.00	622440	18000.00	3240.00
19	कवलदह चौकहा	11826	ग्रामीण	11376	341280	2525472	252548	34128.00	477792	18000.00	3240.00
20	फिसला नो-2 (वाड़ नो-3, दक्षिण टोल)	12044	नगपंचायत	90480	2714400	20086560	2008656	271440.00	3800160	18000.00	3240.00
21	पिपरीली नो-2 वाड़ नो-11 लोहिकानगर	12169	नगपंचायत	132840	3985200	29490480	2949048	398520.00	5579280	18000.00	3240.00
22	बाना	12391	ग्रामीण	47748	1432440	10600056	1060006	143244.00	2005416	18000.00	3240.00
23	ग्राम पंच मोहनपुर	12480	ग्रामीण	36672	1100160	8141184	814119	110016.00	1540224	18000.00	3240.00
24	नीतनवा नो-2 (वाड़ नो-10)	12511	ग्रामीण	47736	1432080	10597392	1059740	143208.00	2004912	18000.00	3240.00
25	ग्राम पंच बरगदवा, बरगदवा नो-1	12545	ग्रामीण	26820	804600	5954040	595404	80460.00	1126440	18000.00	3240.00
26	ग्राम पंच मुडली	12612	ग्रामीण	20928	627840	4646016	464602	62784.00	878976	18000.00	3240.00
27	ग्राम पंच बेलहिया	12623	ग्रामीण	17580	527400	3902760	390276	52740.00	738360	18000.00	3240.00
28	कुन्सेरवा	12633	ग्रामीण	22188	665640	4925736	492574	66564.00	931896	18000.00	3240.00
29	एकसहवा	12674	ग्रामीण	8280	248400	1838160	183816	24840.00	347760	18000.00	3240.00
30	जमुहानी	12733	ग्रामीण	22464	673920	4987008	498701	67392.00	943488	18000.00	3240.00
31	मगराहीवा	12744	ग्रामीण	16596	497880	3684312	368432	49788.00	697032	18000.00	3240.00

विदेशी मंदिर

क्रमांक	विदेशी मंदिरा दुकान का नाम	शाप आई० डी०	प्रारिथति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित ला०फी०	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (ला०फी० / 10)	धरोहर धनराशि (ला०फी० / 10)	हेसियत प्रमाण पत्र / धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (ला०फी० के समतुल्य)	प्रोसेसिंग फीस	जी०एस०टी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महराजगंज नो-2 (वाड़ नो-15 किरवाहा पटेल नगर)	4590	नगपंचायत	1145000	114500	114500	1145000	18000.00	3240
	बरगदवा बाजार	4593	ग्रामीण	115000	11500	11500	115000	18000.00	3240
3	बागापार	4610	ग्रामीण	535000	53500	53500	535000	18000.00	3240
4	नरायनपुर	4616	ग्रामीण	355000	35500	35500	355000	18000.00	3240
5	सोहरीना तियारी	4622	ग्रामीण	400000	40000	40000	400000	18000.00	3240
6	सोहरवलिया	4704	ग्रामीण	640000	64000	64000	640000	18000.00	3240
7	पिपरीली	4710	ग्रामीण	440000	44000	44000	440000	18000.00	3240
8	बंगला चौकहा	4726	ग्रामीण	115000	11500	11500	115000	18000.00	3240
9	दिलदार नगर	4771	ग्रामीण	115000	11500	11500	115000	18000.00	3240
10	फुलमनहा चौकहा	4781	ग्रामीण	115000	11500	11500	115000	18000.00	3240
11	नीतनवा नो-2 वाड़ नो-18	4898	नगपंचायत	995000	99500	99500	995000	18000.00	3240
12	नीतनवा नो-1	4909	नगपंचायत	985000	98500	98500	985000	18000.00	3240
13	समरौवा	4915	ग्रामीण	535000	53500	53500	535000	18000.00	3240

बीयर

क्रमांक	बीयर दुकान का नाम	शाप आई० डी०	प्रारिथति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित ला०फी०	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (ला०फी० / 10)	धरोहर धनराशि (ला०फी० / 10)	हेसियत प्रमाण पत्र / धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (ला०फी० के समतुल्य)	प्रोसेसिंग फीस	जी०एस०टी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महराजगंज नो-1 पडरी बुजुर्ग वाड़ नो-17	4998	नगपंचायत	530000	53000	53000	530000	18000.00	3240.00
2	महराजगंज नो-2 वाड़ नो-21	5023	नगपंचायत	725000	72500	72500	725000	18000.00	3240.00
3	धारमवा ग्राम	5041	ग्रामीण	175000	17500	17500	175000	18000.00	3240.00
4	बरवा खुर्द	5151	ग्रामीण	400000	40000	40000	400000	18000.00	3240.00
5	परतावल बाजार	5193	ग्रामीण	90000	9000	9000	90000	18000.00	3240.00
6	लम्बीपुर जलसहीया	5209	ग्रामीण	90000	9000	9000	90000	18000.00	3240.00
7	चौक	5250	ग्रामीण	90000	9000	9000	90000	18000.00	3240.00
8	बागापार	5290	ग्रामीण	75000	7500	7500	75000	18000.00	3240.00
9	झमझनपुर	5316	ग्रामीण	240000	24000	24000	240000	18000.00	3240.00
10	सोहरीना तियारी	5334	ग्रामीण	245000	24500	24500	245000	18000.00	3240.00
11	नटवा जंगल	5342	ग्रामीण	265000	26500	26500	265000	18000.00	3240.00
12	नो पंच करेन्दा	6264	नगपंचायत	590000	59000	59000	590000	18000.00	3240.00
13	महदेवा ग्राम सभा	6267	नगपंचायत	290000	29000	29000	290000	18000.00	3240.00
14	पिपरीली	6276	ग्रामीण	250000	25000	25000	250000	18000.00	3240.00
15	दिलदारनगर	6279	ग्रामीण	90000	9000	9000	90000	18000.00	3240.00
16	सोहरवलिया	6284	ग्रामीण	90000	9000	9000	90000	18000.00	3240.00
17	फुलमनहा	6296	ग्रामीण	275000	27500	27500	275000	18000.00	3240.00
18	बंगला चौकहा	6319	ग्रामीण	335000	33500	33500	335000	18000.00	3240.00
19	नगपंच फिसवा	6324	नगपंचायत	580000	58000	58000	580000	18000.00	3240.00
20	मिठीरा	6384	ग्रामीण	85000	8500	8500	85000	18000.00	3240.00
21	किरवाहा	6411	ग्रामीण	75000	7500	7500	75000	18000.00	3240.00
22	बेलवा चौकहा	6572	ग्रामीण	245000	24500	24500	245000	18000.00	3240.00

माडल शाप

क्रमांक	माडल शाप दुकान का नाम	शाप आइड टी०	प्रारिथति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित ला०फी०	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि (ला०फी०/10)	हैसियत प्रमाण पत्र/ धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (ला०फी० के समतुल्य)	प्रोसेसिंग फीस	जी०एस०टी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	माडल शाप फरेन्दा रोड महाराजगंज	4441	न०पा०परि०	3455000	220000.00	345500.00	3455000	25000	4500.00
2	माडल शाप फरेन्दा बाई पास फरेन्दा	4449	न०पचा०	2450000	220000.00	245000.00	2450000	25000	4500.00


भाँग

क्रमांक	भाँग दुकान का नाम	प्रारिथति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एम०जी० वषु०	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित ला०फी०	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (ला०फी०+प्र०शु०) /6 अथवा 5000 रु० में जो अधिक	धरोहर धनराशि (ला०फी०/10) अथवा 5000 रु० में जो अधिक	हैसियत प्रमाण पत्र/ धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (ला०फी०+ प्र०शु० के समतुल्य)	प्रोसेसिंग फीस	जी०एस० टी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महाराजगंज	न०पा०परि०	40	800	34000	5800	5000	34800	5000.00	900.00
2	धरमपुर	ग्रामीण	30	600	5000	5000	5000	5600	5000.00	900.00
3	धुपूली	न०पचा०	30	600	16000	5000	5000	16600	5000.00	900.00
4	पस्तावल	ग्रामीण	40	800	10000	5000	5000	10800	5000.00	900.00
5	बेलवाटीकर	ग्रामीण	30	600	4000	5000	5000	4600	5000.00	900.00
6	खुटहो	ग्रामीण	30	600	6000	5000	5000	6600	5000.00	900.00
7	पनिपरा	ग्रामीण	30	600	6000	5000	5000	6600	5000.00	900.00
8	नरुआ	ग्रामीण	30	600	6000	5000	5000	6600	5000.00	900.00
9	चौतरवा	ग्रामीण	10	200	7000	5000	5000	7200	5000.00	900.00
10	ब्रजमनगंज	ग्रामीण	20	400	7000	5000	5000	7400	5000.00	900.00
11	फरेन्दा	न०पचा०	25	500	26000	5000	5000	26500	5000.00	900.00
12	भागाटार	ग्रामीण	30	600	6000	5000	5000	6600	5000.00	900.00
13	सिसवा	न०पचा०	40	800	22000	5000	5000	22800	5000.00	900.00
14	निघलील	न०पचा०	30	600	10000	5000	5000	10600	5000.00	900.00
15	नौतवा	न०पा०परि०	25	500	19000	5000	5000	19500	5000.00	900.00
16	लक्ष्मीपुर	ग्रामीण	10	200	7000	5000	5000	7200	5000.00	900.00
17	बुरदपुर	ग्रामीण	10	200	7000	5000	5000	7200	5000.00	900.00

ई-लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अहं पाये गये आवेदनों से आवेदकों का चयन ई-लाटरी से किया जायेगा। लाटरी क्रमशः देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भाँग के क्रम में की जायेगी। प्रत्येक दुकान के लिए लाटरी निकालने से पूर्व उस दुकान पर कितने आवेदन पड़े हैं, आवेदकों के नाम सहित डिस्ट्रे (प्रदर्शित) किये जायेंगे। अनहं आवेदकों की सूची भी अनहंता के कारणों सहित प्रदर्शित की जायेगी। वास्तविक लाटरी प्रारम्भ करने से पहले 03 बार मॉक लाटरी की प्रक्रिया करके आवेदकों को दिखाई जायेगी। तत्पश्चात फाइनल लाटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की उद्घोषणा करने के साथ-साथ लिखित उद्घोषणा कर उपस्थित आवेदकों के हस्ताक्षर कराकर वास्तविक लाटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। लाटरी में चयन रैण्डम आधार पर किया जायेगा। रैण्डम नं० की सीडिंग हेतु 03 अंकों का सीड नं० आवंटन स्थल पर उपस्थित किन्ही तीन आवेदकों से एक-एक अंक पूछ कर बनाया जायेगा। सफल आवेदक का नाम लाटरी के निकलते ही घोषित किया जायेगा। जिसकी सूचना सफल आवेदक के पंजीकृत मोबाइल/ई मेल एवं लागिन पर स्वतः प्रेषित हो जायेगी। सफल आवेदकों द्वारा समयान्तर्गत सम्पूर्ण धनराशिया जमा न किये जाने पर आवंटन निरस्त करते हुए पूर्व की जमा धनराशियां राज्य के पक्ष में समपहृत किया जाना:-

किसी दुकान हेतु एकल आवेदन की स्थिति में नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कर दिया जायेगा। दुकान पर एक से अधिक आवेदक होने पर अनुज्ञापी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी द्वारा धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के 48 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा उसका चयन अमान्य/निरस्त कर दिया जायेगा। जमा की गयी धरोहर धनराशि, आवंटित दुकान की देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा चयनित अनुज्ञापी को चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, तथा उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा माग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन की सूचना के 20 कार्य दिवस के भीतर जमा कर दे। मॉडल शाप के चयनित अनुज्ञापी को मॉडल शाप पर मदिरापान कराने की सुविधा प्राप्त करने हेतु 02 लाख रुपये अलग से अतिरिक्त जमा करना होगा। चयन के उपरान्त आवेदक/लाइसेंसधारी को हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी, तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी दुकान संचालन के पूर्व जमा करना होगा। अन्यथा की दशा में जब तक चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक दुकान संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी। लाइसेंसधारी के रूप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा, और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गयी है तो राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी।

वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में व्यवहारिक विचलनों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्णय लिये जा सकते हैं। ई-लाटरी से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।


जिला आबकारी अधिकारी,
महाराजगंज

जिलाधिकारी,
महाराजगंज